

भिलाई नगर। आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर में विघटित विशेष क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा किराए पर दुकान आबंटित की गई है। आबंटियों को बकाया किराया जमा किए जाने सूचना पत्र जारी किया गया है। जिन आबंटियों को सूचना पत्र दिए जाने के बाद भी निर्धारित अवधि में बकाया किराया की राशि निगम कोष में जमा नहीं किया गया है। उन आबंटितियों का आबंटन निरस्त किया जावेगा तथा दिनांक 18.02.2026 दिन बुधवार को तालाबंदी की कार्यवाही की जावेगी। अतः आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर के दुकानदार अपनी बकाया राशि निगम कोष में शीघ्र जमा कर तालाबंदी की कार्यवाही से बचें।

